पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-03/07
क्रमांक-42/2017
सं0 ई/9/7/भाग-1/चार

दिनांक 1 03-2017

सचिव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः—कम्पोजिट स्थानान्तरण अनुदान के सम्बन्ध में—स्पष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या एफ(ई)1/2016/एएल—28/69 दिनांक 16.02.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

01.03.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एनाई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
5— मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

01.03.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Singh/Letter

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)I/2016/AL-28/69 New Delhi, dated 16 .02.2017

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Clarification regarding grant of CTG.

In terms of Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/15, dated 01.12.2008, Composite Transfer Grant is being paid @ one month's basic pay.

Queries are being received from some of the Railways regarding quantum of CTG consequent to revision of pay under VII CPC.

It is clarified, in this context that CTG would be admissible only on pre-revised (6th CPC) rates in 6th CPC pay structure in accordance with para 7 of Ministry of Finance resolution No.1-2/2016 –IC dated 25.07.2016 which provides that "Till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of this Committee, all Allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from 01.01.2016."

Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt.)
Railway Board.

Copy to:

1. FA & CAOs, All Indian Railways etc.
2. Pay & Accounts Officer, Railway Board for information .

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 14 /2017

क्र.सं. पीसी-VI/ 374

सं.पीसी-V/2014/ए/टीए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.02.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे के मूक और बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दरों पर परिवहन भत्ता प्रदान करना।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.03.2014 (आरबीई नं. 28/2014) के समसंख्यक पत्र, जो मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में है, के अधिक्रमण में यह सूचित किया जाता है कि इस मामले की फिर से जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि उन कर्मचारियों को जो मूक एवं बधिर दोनों हैं, के अतिरिक्त कम श्रवण शक्ति वाले कर्मचारियों को भी सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता अनुमेय है।

2. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार 'उन कम सुनने वाले व्यक्तियों जिनके कम खराब कान में वार्तालाप के रेंज की फ्रीक्वेन्सी (conversation range of frequencies) के भीतर सुनने में 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक की हानि हुई हो, को सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता अनुमेय होगा।

3. रेलवे अथवा सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के हेड की सिफारिश पर और रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.10.1978 के पत्र सं. एफ(ई)I-78/एएल-7/5 जिसे बोर्ड के दिनांक 12.09.2008 (आरबीई सं. 111/2008) के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, में उल्लिखित अन्य लागू शर्तों के पूरा करने पर ही, उपर्युक्त कोटियों के कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता अनुमेय होगा।

4. यह आदेश 19.02.2014 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड.

(प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 17.01.2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 20/2/2016-ई.II(बी))

TRANSPORT ALLOWANCE